न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ

पीठासीन अधिकारी – हरिसिह लंम्बोरा आर0 ए0 एस0
प्रकरण संख्या– 87 / 2015

मुन्नालाल पुत्रश्री भदई जाति जाटव निवासी ग्राम टहरी तहसील सैपऊ

– – – – वादी

बनाम

1–कलावती बेबा भदईराम 2–आदिराम पुत्रश्री भदई 3–हरप्यारी बेबा भत्ता 4–कस्तूरी पत्नी चरनसिह जातिगण जाटव निवासीगण ग्राम टहरी तहसील सैपऊ
4–राजस्थान राज्य द्वारा जरिये तहसीलदार सैपऊ

– – – – प्रतिवादीगण

दावा वावत् बटवारा काश्त

उपस्थिति – श्री गिरिस व्यास एडवोकेट (वादीगण)

निर्णय **दिनांक 27.03.2019**

वादी द्वारा उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में दिनांक 30.09.2015 को वास्ते बटवारा काश्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 197, 102, 196 व 731 स्थित वाके ग्राम टहरी का पुरा तहसील सेपऊ का पेश किया । दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया । प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित आये व प्रतिवादी संख्या 4 के पति उपस्थित आये एंव प्रतिवादी संख्या 3 बाबजूद तामील उपस्थित नही अतः प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर कर गुणावगुण के आधार पर दिनांक 13.03.2017 को दावा वादी प्रारंभिक रूप से डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात का वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य उनके नाम रेकार्ड मे दर्ज हिस्सो के अनुसार बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन कर तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिये गये कि वह अच्छी में से तथा बुरी में से बुरी आराजी के पक्षकारो के रिकार्ड मे दर्ज हिस्सो के अनुसार विभाजन के प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें ।

तहसीलदार सैपऊ द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें । तहसीलदार सैपऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एंव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावैजो का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषको द्वारा मुताविक विभाजन प्रस्ताव दावा अन्तिम डिक्री करने का निवेदन किया । इस तहसीलदार सेपऊ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही हैं। तहसीलदार द्वारा विभाजित खसरा नम्बरों के वावत् प्रस्तावित तरमीम नक्शा भी प्रेषित किया है । ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री करना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम टहरी का पुरा तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है :–

1. कस्तूरी पत्नी चरनसिह जाति जाटव निवासी टहरी तहसील सैपऊ

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	
1.	197/2	00.02	उत्तर दिशा
योग	1	0.02	

2. मुन्नालाल पुत्र भदई जाति जाटव निवासी टहरी तहसील सेपऊ

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	
1.	197/1	0.01	पश्चिम
2.	102/3	0.09	पूर्व–दक्षिण
3	731/2	0.10	पश्चिम दक्षिण
योग	3	1.00	

3. हरिप्यारी पत्नी भन्ता जाति जाटव निवासी टहरी तहसील सैपऊ

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	
1.	107/3	0.04	दक्षिण दिशा
2.	102/1	0.19	उत्तर दिशा
3.	731/3	1.01	पूर्व दिश
योग	3	2.04	

4. मुन्नालाल, आदिराम पुत्रगण भदई जाति जाटव निवासी टहरी तहसील सेपऊ हिस्सा 1/2 हरप्यारी पत्नी भत्ता हिस्सा 1/2

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	
1.	197/4	0.03	पूर्व डामरीकरण सडक कौलारी से धौलपुर
2.	196	0.10	मौके पर रिहायसी मकान बने हुये है।
योग	2	0.13	

5. आदिराम पुत्र भदई जाति जाटव निवासी टहरी तहसील सैपऊ

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	
1.	197/5	0.01	पूर्व
2.	102/2	0.09	पश्चिम दक्षिण
3.	731/1	0.10	उत्तर पश्चिम
योग	3	1.00	

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक–पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही यह आदेश दिया जाता है

कि विभाजित खसरा नम्बरान की आदेशानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे । लगान के 20 गुणा राशि पर देय मुन्द्रांक शुल्क के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिकी जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 27.03.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(हरिसिह लंम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

डिगरी व मुकदमे ईब्तदाई

अज अदालत – उपखण्डाधिकारी सैपऊ
व इजलास –हरिसिह लम्बोरा आर0 ए0 एस0
प्रकरण संख्या– 70 / 2017

तेजसिह पुत्रश्री गरीबा जाति जाटव निवासी ग्राम जारोली तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

– – – – वादी

बनाम

1–श्री भगवानसिह 2–श्री खिलौनसिह 3–श्री दीवानसिह 4–श्री कैलाशी पुत्रगण स्व0 रामस्वरूप जातिगण जाटव निवासीगण ग्राम दौनारी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
5–पंजाब नेशनल बैक शाखा बसईनबाब जरिये शाखा प्रबन्धक
6–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ वहैसियत लैण्ड हौल्डर

——— प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक,दुरुस्ती इन्द्राज एंव इस्तनाई दवामी

उपस्थिति –
1–श्री हजरत खॉ एड्वोकेट ....(वादी)

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ हरिसिह लम्बोरा (आर. ए. एस.) व हाजरी मिनजानिव मुद्दई श्री हजरत खॉ एडवोकेट एंव मिनजानिव मुद्दायलह श्री .... पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि आराजी खसरा 2309 / 305 स्थित वाके ग्राम नया नगला तहसील सैपऊ में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम विलोपित कर इनके स्थान पर वादी श्री तेजसिह पुत्रश्री गरीबा जाति जाटव निवासी जारोली तहसील सैपऊ जिला धौलपुर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत, मदाखलत बेजा नही करें।

वशव्द मेरे एंव मुहर अदालत से आज दिनांक 13.03.2019 को जारी की गई ।

(हरिसिह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ